

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

महेश कुमार वगै०

बनाम

भूमिधारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मु०नं० 93 सन् 2025 जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

11-04-2025

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री जसवन्त सिंह मीणा उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 15.04.2025 को पेश हो।



15/04/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी की तामील सम्यक रूप से होकर लौटी हैं। बावजूद सम्यक तामील उक्त अप्रार्थी की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया हैं। अतः अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2024 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थीगण अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।


पत्रावी व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एव सीमाज्ञान दिनांकित 21.06.2024 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण सीमाज्ञान दिनांकित 21.06.2024 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :-

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 943/1, 943/2, 913/1, 913/2 कुल किता 04 में प्रार्थीगण तथा पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 21.06.2024 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढी करवाकर

तारीख
हुकम

विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना